राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 411/2023

उर्मिला यादव (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएसके201233020116)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 30.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता भूगोल के पद पर रा.उ.मा.वि. रघुनाथपुरा, जयपुर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ. मा.वि. रघुनाथपुरा, जयपुर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, हाथीदेह सीकर किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान स्थान पर आदेश दिनांक 31.08.2022 के जरिये किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 02.09.2022 को कार्यभार ग्रहण किया था। वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण 4 माह 10 दिन में कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने स्थानांतरण के लिए कोई अभ्यावेदन नहीं दिया था, फिर भी उसे वर्तमान स्थानांतरण आदेश में टीए नहीं दिये जाने का हवाला दिया गया है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन रा.उ.मा.वि. रघुनाथपुरा जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक

आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। जहां तक टीए प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी नियमानुसार टीए प्राप्त करने का अधिकारी है। केवल इस आधार पर स्थानांतरण आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी को टीए प्रदान किये जाने का आदेश नहीं दिया गया है।

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को नियमानुसार टीए का भुगतान किया जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)